मूलवाद 2024/058

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
करतार बनाम कृपाराम व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2024/046
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
09.10.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री वलराम स्वामी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है कि इस प्रकरण में कैवियट दर्ज है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। कैवियट कर्ता श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। कैवियट मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी चक 4 पी वड़ी, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सख्या 17/13 के मुरब्बा नं. 17 की कुल 6.3250 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि पर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नही होगी। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 11.11.2024 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। स्वाति गुप्ता R.A.S. सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:19 IST
Reason: SelfAttested

11.11.24 अप्रार्थी संख्या 01, 24, 06, 08 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 211, 212, 213 एवं 10 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस अदम तामील प्राप्त।

आज पीठासीन अधिकारी कुल्पसगाजी ..... अवकाश पर है. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

सरजीत कौर

कृपाराम

रामकरण

26.11.24 प्रतिवादी सं० 12 द्वारा जरिये अधिवक्ता मिसल पेशी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC अर्जेन्ट नेचर का है अतः पत्रावली पेशी में ली जाकर प्रार्थना पत्र 151 CPC पर सुनवाई की जावे। मिसल पेशी प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता को आयन्दा तारीख पेशी 29.11.24 को प्रार्थना पत्र 151 CPC पर जवाब प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र 151 CPC हेतु दिनांक 29.11.24 को पेश हो।

29/11/24 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/12/24 को पेश हो।

04.12.24 अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को जवाब प्रा० पत्र 151 CPC पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र 151 CPC हेतु दिनांक 10.12.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:19 IST
Reason: SelfAttested

10/12/24 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

19.12.24 अधिवक्तागण उप. प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, मगर प्रार्थी अधिवक्ता को दिखाई नहीं। अप्रार्थी क्र.01, 02, 09 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया, कोई भी अधिवक्ता को दिखाई नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी शेष अप्रार्थीगण एवं बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 20.12.24 को पेश हो।

[illegible]

20.12.24 अधिवक्तागण उप. । अप्रार्थी क्र.12 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, कोई भी अधिवक्ता को दिखाई नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी शेष अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 24.12.24 को पेश हो।

24/12/24 आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02.01.25 को पेश हो।

30.12.24 प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मिसल पेशी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। कोई अप्रार्थी क्र.12 के अधिवक्ता को दिखाई गई। प्रार्थी द्वारा स्वयं उप. आकर आवेदन पर Notarised किया हुआ अंगूठा निशान अंकित किये। करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता किरन चौधरी द्वारा की गई चूंकि प्रार्थी प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता अतः प्रकरण सं. 2024/041, वि. [illegible] 212 RTA, आगामी [illegible] वर्तमान स्तर पर [illegible] व अन्य [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] की पत्रावली [illegible] शामिल हो।

सहायक कलेक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Note Press

LTI करतार

Identification by me

30/12/2024

किरन चौधरी
एडवोकेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:19 IST
Reason: SelfAttested